

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर ।
क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/(विलो0)/वी-955/19/ दिनांक
आदेश

निम्नांकित नर्स-2 की राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम पर अंकित तिथि से राज्य सेवा से उनका नाम विलोपित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	मृत्यु तिथि	नाम विलोपित तिथि
1	श्री दीनदयाल गीना	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली।	13.08.78	21.02.09	12.06.19	12.06.19
2	श्री पन्नाराम चौधरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरीवाला तला, खण्ड सिणधरी, बाडमेर।	02.10.82	08.04.08	02.05.19	02.05.19

मृत्यु दिनांक तक इनके विरुद्ध –

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/ लंबित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/(विलो0)/वी-955/19/660
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 30/07/19

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 रायुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन भरतपुर।
- 3 रायुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को उनके पत्रांक 5341 दिनांक 17.07.19 के क्रम में।
- 5 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली को उनके पत्रांक 512 दिनांक 02.07.19 के क्रम में।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 7 डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
- 8 प्रगारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 9 आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।